170

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2016 पुनरीक्षण

धर्मदास गुरू श्री बजरंगदास महंत पुजारी अष्टभुजी माता मंदिर, अशोक नगर द्वारा मुख्त्यारआम संतोष कुमार जैन पुत्र श्री फूलचन्द्र जैन निवासी– गल्ला मण्डी रोड, अशोक नगर, जिला अशोक नगर, म0प्र0 ——आवेदक

बनाम

म0प्र0 शासन ——अनावेदक

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश अदिनांकित पारित द्वारा न्यायालय श्री अरूण कुमार तोमर कलेक्टर जिला अशोक नगर के प्र0क0 कमांक/27/बी–121/2015–16 व उनवान धर्मदास बनाम म0प्र0 शासन ।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण याचिका निम्नप्रकार प्रस्तुत है:—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, आवेदक द्वारा कस्बा अशोक नगर स्थित भूमि सर्वे कमांक 741 रकबा 0.920 हैक्टर भूमि के विकय की अनुमति चाही गयी थी, अधीनस्थ कलेक्टर अशोक नगर

TWO RUPEES

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 2412–दो/2016 जिला अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29–9–2016	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर अशोकनगर के प्रकरण कमांक 27/बी–121/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 15–7–2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे प्रकट होता है कि आवेदक द्वारा कलेक्टर अशोकनगर के समक्ष एक आवेदन पत्र प.ह.नं. 28 स्थित भूमि सर्वे कमांक 741 रकवा 0.920 हे0 भूमि अष्टभुजी माता पुजारी धर्मदास गुरू बजरंगदास द्वारा मुख्त्यारआम संतोष कुमार जैन पुत्र श्री फूलचन्द जैन निवासी अशोकनगर के स्वामित्व की भूमि विकय कर उसके स्थान पर ग्राम तोंकली तहसील अशोकनगर की भूमि सर्वे कमांक 245/1 रकवा 1.045 हे0 को कय किये जाने हेतु अनुमति बावत प्रस्तुत किया। आवश्यक कार्यवाही के पश्चात कलेक्टर अशोकनगर ने प्रकरण कमांक 27/बी–121/ 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 12–7–2016 के द्वारा आवेदक को विकय की अनुमति प्रदान की गई। तत्पश्चात कलेक्टर अशोकनगर के समक्ष तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर ने प्रकरण कमांक 129/बी–121/2015–16 प्रतिवेदन दिनांक 15–7–16 प्रस्तुत कर अवगत कराया कि	

आवेदक धर्मदास गुरू श्री बजरंगदास अष्ट भुजी मंदिर अशोकनगर द्वारा न्यायालय को गुमराह कर तथ्यों को छुपा कर अनुमति प्राप्त की गई है। इस संबंध में कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पूर्व में पारित आदेश दिनांक 12–7–16 का कियान्वयन रोकते हुये आवेदक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। कलेक्टर ने अंतरिम आदेश दिनांक 15–7–16 को यह तथ्य अंकित करते हुये कि आवेदक द्वारा तथ्यों को छुपाकर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, अतएव न्यायालयीन प्रकरण कमांक 27/बी–121/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 12–7–16 का कियान्वयन म0प्र0 भू–राजस्वसंहिता 1959 की धारा 52 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर अन्य आदेश होने तक रोका गया तथा आवेदक को नोटिस जारी कर न्यायालय को गुमराह कर तथ्यों को झुपाने के कारण अनुमति आदेश दिनांक 12–7–2016 क्यों न निरस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि कलेक्टर के आदेश के कम में अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 16–6–16 को विस्तार से जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें अनुमति दिये जाने की अनुसंशा की गई है। प्रकरण में संलग्न अनुविभागीय अधिकारी की दिनांक 04–7–16 की आदेश पत्रिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने माफी ऑकाफ की न होकर खाते की भूमि है जिसे अष्ठ भुजी माता मंदिर पुजारी धर्मदास गुरू बंजरगदास ने कय किया जाना अंकित किया है तथा पूर्व पीठासीन अधिकारी एवं तहसीलदार के जांच प्रतिवेदन के अनुसार कय विकय की अनुमति सशर्त दिये जाने हेतु प्रकारण आगामी कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन कलेक्टर अशोकनगर को प्रेषित

किया था जिसपर विचारोपरांत कलेक्टर अशोकनगर द्वारा आदेश दिनांक 12–7–16 को विकय की अनुमति प्रदान की गई।

इसके पश्चात दिनांक 15–7–16 को अपने ही आदेश का 12–7–16 पर पुर्नविचार कर आवेदक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के आदेश दिये हैं जिसमें यह आधार लिया है कि पूर्व में आवेदक द्वारा विकय अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था जो कलेक्टर सहित प्रथम अपीलीय न्यायालय अपर आयुक्त एवं राजस्व मण्डल से निरस्त हो चुका है। विकय की अनुमति का आदेश प्रशासनिक स्वरूप का आदेश होता है जिसपर पुनः आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर विचार किया जाने पर म0प्र0 भू–राजस्व 1959 में बंधन नहीं है। इसके अतिरिक्त एक बार आवेदन निरस्त होने से पुनः यदि नये तथ्यों पर विकय अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो उस पर विधिवत जांच होने के पश्चात अनुमति दिये जाने पर विचार किया जा सकता है। कलेक्टर द्वारा विधिवत प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त कर जांचउपरांत विकय की अनुमति प्रदान की गई थी। अतः उसपर पुर्नविचार करने की कोई आवश्यकता विधिक दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होती है।

4/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में प्रश्नाधीन भूमि के विकय अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में कलेक्टर अशोकनगर का आदेश दिनांक 12–7–16 स्थिर रखा जाता है। कलेक्टर अशोकनगर द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 15–7–16 निरस्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(के0सी0 जैन)
सदस्य